



कार्यालय कलेक्टर, जिला कोण्डागांव(छ0ग0)

विज्ञापन

क्रमांक क/विलि-एक/36/2016

कोण्डागांव, दिनांक 20.10.2016

छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग मंत्रालय नया रायपुर के आदेश क्रमांक एफ 2-38/सात-2/2016 दिनांक 08 सितम्बर 2016 कलेक्टर (राजस्व विभाग) जिला कोण्डागांव के अन्तर्गत जिला स्तर पर नीचे लिखे रिक्त पदों की भर्ती हेतु निर्धारित प्रारूप में आवेदन पत्र स्पीड पोस्ट/डाक द्वारा सायं 5.00 बजे तक ही स्वीकार किये जावेंगे। पूर्ण रूप से भरे हुए आवेदन पत्र प्राप्त होने की अंतिम तिथि 21.11.2016 है। पदों का विवरण निम्नानुसार है :-

पद स्टेनो टायपिस्ट कुल रिक्त पद - 03

पुनरीक्षित वेतन बैंड 5200-20200/- जीपी 1900/-

क्र0	पद का विवरण	ST	SC	OBC	UR	TOTAL
1	2	3	4	5	6	7
1	मुक्त	02	-	01	-	03
	योग:-	02	-	01	-	03

शैक्षणिक योग्यता एवं अन्य अर्हताएँ :-

1. मान्यता प्राप्त शिक्षा मंडल/वि0वि0 से उच्चतर माध्यमिक परीक्षा या (10+2) उत्तीर्ण या स्नातक पाठ्यक्रम की प्रथम वर्ष परीक्षा उत्तीर्ण या भर्ती नियम के अनुसार निर्धारित योग्यता होना अनिवार्य है।
2. मान्यता प्राप्त संस्था/मण्डल से हिन्दी शीघ्रलेखन में 60 शब्द प्रति मिनट की गति होना चाहिए।
3. शासन द्वारा बस्तर एवं सरगुजा संभाग के जिलों में संचालित मान्यता प्राप्त संस्था से प्रदत्त कम्प्यूटर डिप्लोमा/प्रमाण पत्र तथा कम्प्यूटर में हिन्दी टायपिंग 5000 की (Key) डिप्रेशन प्रतिघंटा की गति होनी चाहिए।

पद सहायक ग्रेड-03 कुल रिक्त पद - 06
पुनरीक्षित वेतन बैंड 5200-20200/- जीपी 1900/-

क0	पद का विवरण	ST	SC	OBC	UR	TOTAL
1	2	3	4	5	6	7
1	मुक्त	03	-	01	01	05
2	महिला	01	-	-	-	01
3	भूतपूर्व सैनिक	-	-	-	-	-
4	विकलांग	-	-	-	-	-
	योग:-	04	00	01	01	06

शैक्षणिक योग्यता एवं अन्य अर्हताएँ :-

- मान्यता प्राप्त शिक्षा मंडल/वि0वि0 से उच्चतर माध्यमिक परीक्षा या (10+2) अथवा पुरानी हायर सेकेण्डरी परीक्षा उत्तीर्ण के साथ मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से किसी भी विषय के स्नातक पाठ्यक्रम की प्रथम वर्ष परीक्षा उत्तीर्ण
- मान्यता प्राप्त संस्था/मण्डल से डाटा एन्ट्री ऑपरेटर/प्रोग्रामिंग में एक वर्षीय डिप्लोमा/प्रमाण पत्र तथा,
- कम्प्यूटर में हिन्दी टायपिंग का 5000 की (Key) डिप्रेशन प्रतिघंटा की गति के संबंध में कौशल परीक्षा ली जावेगी ।

नियम व शर्तें :-

- आयु सीमा में छूट:-

(क) आयु दिनांक 01.10.2016 की स्थिति में न्यूनतम 18 वर्ष तथा अधिकतम 35 वर्ष होना चाहिए उच्चतर आयु सीमा में छ.ग.शासन, सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा समय-समय पर जारी किये गये निर्देशों के तहत निम्नानुसार आयुसीमा छूट की पात्रता होगी :-

- यदि अभ्यर्थी छ.ग. शासन द्वारा अधिसूचित अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग (गैर कीमीलेयर) का होकर राज्य का मूल निवासी है, तो उसे उच्चतर आयु सीमा में 05 वर्ष तक की छूट दी जायेगी ।

